भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4390
उत्तर देने की तारीख 20 अगस्त, 2025

पंजाब में हाई स्पीड इंटरनेट

4390. श्री मलविंदर सिंह कंगः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर पंजाब राज्य में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने वाली एजेंसियों और सेवा प्रदाताओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) देशभर में इंटरनेट उपलब्ध कराने के कार्य में तेजी लाने के लिए किए गए/किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इंटरनेट सुविधाओं की बहुत कम पहुँच वाले या बिल्कुल पहुँच नहीं होने वाले राज्यों और जिलों का ब्यौरा क्या है;

(घ) देश के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट सेवाओं की अनुपलब्धता के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) दूरसंचार विभाग द्वारा दिनांक 31.07.2025 तक राष्ट्रीय क्षेत्र के लिए 237 लाइसेंस जारी किए गए हैं, जो पंजाब राज्य सहित देश भर में इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकृत हैं।

दूरसंचार विभाग द्वारा कुल 295 एक्सेस सेवा और 1208 इंटरनेट सेवा लाइसेंस जारी किए गए हैं जो देश के विनिर्दिष्ट दूरसंचार सर्किल क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकृत

हैं। पंजाब राज्य के लिए 10 एक्सेस सेवा लाइसेंस और 15 इंटरनेट सेवा लाइसेंस जारी किए गए हैं।

दूरसंचार विभाग द्वारा कुल 536 एक्सेस सेवा लाइसेंस और 1122 इंटरनेट सेवा लाइसेंस जारी किए गए हैं जो देश के विनिर्दिष्ट सेकेंडरी स्विचिंग क्षेत्र (एसएसए) में इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकृत हैं। पंजाब राज्य के लिए 9 एक्सेस सेवा लाइसेंस और 8 इंटरनेट सेवा लाइसेंस जारी किए हैं।

(ख) और (ड.) वर्तमान में देश के कवरेज की कमी वाले दूरदराज के क्षेत्रों और गांवों और द्वीपों में उच्च क्षमता वाली इंटरनेट/ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और मोबाइल सेवाएं प्रदान करने हेतु डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) [पूर्ववर्ती सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ)], दूरसंचार विभाग से प्राप्त वित्त पोषण के साथ कई कदम उठाए गए हैं और परियोजनाएं शुरू की गई हैं। प्रमुख परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

i. भारतनेट परियोजना का कार्यान्वयन देश की सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) और गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। भारतनेट परियोजना के तहत सृजित अवसंरचना एक राष्ट्रीय परिसंपत्ति है जो सेवा प्रदाताओं के लिए बिना-भेदभाव के आधार पर सुलभ है और इसका उपयोग ब्रॉडबैंड सेवाएं जैसे कि फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) कनेक्शन, लीज्ड लाइन, डार्क फाइबर, मोबाइल टावरों के लिए बैकहॉल, आदि प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतनेट चरण-I और चरण-II के मौजूदा नेटवर्क के उन्नयन, शेष ग्राम पंचायतों (जीपी) में नेटवर्क का सृजन, 10 वर्षों के लिए प्रचालन और रख-रखाव तथा उपयोग के लिए दिनांक 04.08.2023 को डिजाइन, बिल्ट, ओपरेट एण्ड मेंटेन (डीबीओएम) मॉडल के तहत संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी) के लिए अनुमोदन दिया है। बिना ग्राम पंचायतों वाले शेष गांवों को उनकी संबंधित ग्राम पंचायतों (जीपी) से मांग के आधार पर कनेक्टिविटी प्रदान करने का प्रस्ताव है। बीएसएनएल का लक्ष्य अगले पाँच वर्षों में घरों में 1.50 करोड़ एफटीटीएच कनेक्शन उपलब्ध कराने का है। बीएसएनएल को परियोजना प्रबंधन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। जून-2025 तक देश में भारतनेट परियोजना के तहत बीएसएनएल और अन्य सेवा प्रदाताओं द्वारा 13,01,193 एफटीटीएच कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

ii. देश के सेवा से वंचित दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च गति इंटरनेट/डेटा और मोबाइल सेवाओं के प्रावधान के लिए विभिन्न लक्षित स्कीमें/परियोजनाएं कार्यान्वित की गई हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए व्यापक दूरसंचार विकास

योजना (सीटीडीपी), द्वीपों (अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह) के लिए व्यापक दूरसंचार विकास योजना, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए स्कीम, आकांक्षी जिलों में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए स्कीम, सीमावर्ती गांवों और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए स्कीम, सेवा से वंचित सभी गांवों में मोबाइल कवरेज प्रदान करने के लिए 4जी सेचुरेशन स्कीम आदि। 26,316 करोड़ रुपये की कुल लागत से देश के सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों में सेवा से वंचित गांवों में 4जी मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए 4जी मोबाइल सेवा सेचुरेशन परियोजना भी कार्यान्वयनाधीन है। जून-2025 तक सरकार द्वारा वित्तपोषित विभिन्न मोबाइल परियोजनाओं के तहत देश में 21,748 मोबाइल टावर चालू किए गए हैं।

iii. अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को उच्च गति इंटरनेट/डेटा कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए चेन्नई और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (2312 किलोमीटर) के बीच दिनांक 10.08.2020 को सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल को चालू करना। दिनांक 03.01.2024 को मुख्यभूमि (कोच्चि) और लक्षद्वीप द्वीप समूह (1869 किमी) (कुल 11 द्वीप; कवरत्ती, कल्पेनी, अगत्ती, अमिनी, एंड्रोथ, मिनिकॉय, बंगाराम, बितरा, चेतलाट, किल्टन और कदमथ) के बीच सबरीन ओएफसी कनेक्टिविटी को चालू करना । एफटीटीएच और अन्य सेवाओं के प्रावधान के लिए लक्षद्वीप द्वीप समूहों में 225 किलोमीटर ओएफसी नेटवर्क का सृजन करना। इन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजनाओं ने द्वीपों में फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड/इंटरनेट सेवाओं, मोबाइल सेवाओं (4जी/5जी) और अन्य उच्च-गति डेटा सेवाओं के अधिक तीव्र रोल आउट की सुविधा प्रदान की है।

भारत सरकार ने "पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता स्कीम 2022-23" नामक पुनःडिजाइन की गई और विस्तार की गई स्कीम वर्ष 2022-23 के लिए लॉन्च की है। पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता स्कीम 2022-23 के भाग-V (ऑप्टिकल फाइबर केबल) के लिए 3000 करोड़ रुपये की कुल राशि निर्धारित की गई हैं। इन निधियों का उपयोग सरकारी संस्थाओं (जैसे स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी, पुलिस स्टेशन, कृषि विकास केंद्र, डाक घर, राशन की दुकान आदि), निजी संस्थाओं और घरों तक भारतनेट नेटवर्क के माध्यम से ओएफसी पर अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी (एलएमसी) प्रदान करने के लिए वर्तमान में भारतनेट का विस्तार कवर की गई ग्राम पंचायतों (जीपी) से गावों तक करने के लिए किया जा सकता है।

साथ ही दिनांक 30.06.2025 तक देश भर के सभी राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों में 5जी सेवाओं

को भी रोलआउट किया गया है और देश भर में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा 4.86 लाख 5जी बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) संस्थापित किए गए हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएमवाणी) फ्रेमवर्क के तहत सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क के माध्यम से ब्रॉडबैंड का प्रसार करने के दूरसंचार विभाग (डीओटी) के प्रस्ताव के लिए अनुमोदन दिया है। वर्तमान में देश भर में 3,53,105 पीएमवाणी वाई-फाई हॉटस्पॉट संस्थापित किए गए हैं।

(ग) और (घ) आरजीआई (भारत के महापंजीयक) के आंकड़ों के अनुसार, कुल 751 जिला मुख्यालयों में से सभी में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है और दिनांक 30.06.2023 तक देश के 6,44,131 गांवों में से 6,26,055 गांवों में मोबाइल नेटवर्क कवरेज के माध्यम से इंटरनेट सुविधा (3जी/4जी) उपलब्ध है।

*****